निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1937 (श0)
(सं0 पटना 1253) पटना, शुक्रवार, 6 नवम्बर 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

————————

अधिसूचना

28 अप्रील 2015

सं0 8/आ0 (राज0नि0)–1–04/2013–1911—श्री विद्यानन्द पासवान, तत्कालीन निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त उप निबंधन महानिरीक्षक के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43बी0 के तहत महालेखाकार लेखा परीक्षक बिहार, पटना द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला अवर निबंधन कार्यालय कैमूर (भभुआ) वर्ष 2008 से 2011 तक एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय भोजपुर के वर्ष 2006 से 2011 तक के संदर्भित विलेखों के निष्पादन के क्रम में राजस्व की क्षति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही तथा शिथिलता बरतने आदि के आरोपो के लिए विभागीय संकल्प संख्या–4509 दिनांक 16.10.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने गै0स0प्रे0 संख्या–20 दिनांक 13.01.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री पासवान पर कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है।

3. विभागीय पत्रांक–768 दिनांक 19.02.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई।

4. श्री पासवान द्वारा दिये गये बचाव बयान की समीक्षा की गई और पाया गया कि उन्होंने अपने द्वितीय बचाव बयान में इस बात को स्वंय स्वीकार किया है कि संभव है कुछ मामलों में आदेश फलक में स्थल जाँच का

उल्लेख भूलवश अंकित नही किया जा सका हो। इस आधार पर उनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नही पाया गया और निष्कर्षित किया गया है कि अवर निबंधन कार्यालय, कैमूर एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय, भोजपुर (आरा) द्वारा रेफर किये गये 47A के अधीन मामलों में बिना कोई जाँच किये एवं बिना कोई ठोस आधार के आदेश पारित कर राजस्व क्षति पहुँचाई गई है।

5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा समरूप मामले में अपने पत्रांक–2508 दिनांक 22.01.2015 द्वारा परामर्श दिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन की कटौती के विनिश्चत दण्ड प्रस्ताव में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का कोई प्रावधान नही है।

6. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 (C) में निहित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पासवान के पेंशन से 5% (पॉच प्रतिशत) की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1253-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in